

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड



वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

परियोजना का नाम : उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (पुराना एन0 एच0-58) के कि0मी0 399.000 से कि0मी0 460.000 में लैंड स्लाइड का उपचार सहित सड़क का चौड़ीकरण एवं सृढीकरण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावक विभाग का नाम — महाप्रबंधक, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, देहरादून

— — — वन भूमि का विवरण — — —

आरक्षित वन भूमि

चमोली वन रंजि (सड़क निर्माण हेतु) (अनुच्छेदक. -IV)	2.3969 है0	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
कुल भूमि	2.3969 है0	

सिविल, सोयम एवं वन पंचायत वन भूमि

जिला चमोली (सड़क निर्माण एवं लैंड स्लाइड स्थिरीकरण हेतु) (अनुच्छेदक I एवं III)	31.5795 है0	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
जिला चमोली (मक डंपिंग हेतु) (अनुच्छेदक V & VI)	6.9152 है0 *	
कुल भूमि	38.4947 है0	

* Diversion for forest land is not required if forest department/MoEF permit the user agency to use the land for muck disposal and change. Suitably for dumping the land will remain with forest department only.

नाप भूमि

जिला चमोली (अनुच्छेदक II)	8.5180 है0	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
कुल भूमि	8.5180 है0	

कुल प्रस्तावित भूमि हस्तान्तरण हेतु (आरक्षित, सिविल, सोयम एवं वन पंचायत वन भूमि)

वन भूमि (सड़क निर्माण एवं लैंड स्लाइड स्थिरीकरण हेतु)	— 33.9764 है0	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
वन भूमि (मक डंपिंग हेतु)	— 6.9152 है0	
कुल वन भूमि	— 40.8916 है0	

उक्त समस्त भूमि जिला चमोली (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत आती है।